**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2207**

**सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)**

**पीएम-एसवाईएम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण**

**2207. श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण संबंधी मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत अब तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बहुत कम संख्या में पंजीकरण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में अब तक पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) तमिलनाडु राज्य में पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और उपयोग की गई राशि कितनी है तथा आबंटित निधियों के बहुत कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(च) क्या सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसके बारे में अधिक जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) देश के अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (छ): प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना को फरवरी, 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु के पश्चात, असंगठित कामगार को 3000/- रु. का एक मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान किया जाता है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कामगार, जिनकी मासिक आय

जारी..2/..

15000/- रुपए या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त-पोषित) के सदस्य नहीं हैं योजना से जुडने के लिए पात्र हैं।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत दिनांक 30-07-2024 की स्थिति के अनुसार नामांकित असंगठित कामगारों की संख्या 50.15 लाख है (जिसमें लगभग 5 लाख थोक पंजीकरण शामिल है)।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में नामांकित असंगठित कामगारों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है;

| **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** |
|---|---|---|
| **2322** | **6426** | **1905** |

दिनांक 30-07-2024 की स्थिति के अनुसार पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 68,161 है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर संलग्न है।

यह योजना मांग-आधारित है और बजट का उपयोग मांग के अनुसार होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में योजना के लिए आबंटित निधियों और आबंटित निधियों में से उपयोग की गई राशि निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **बजट में आबंटित निधि (करोड़ रु में)** | **व्यय (करोड़ रु. में)** |
|---|---|---|
| **2021-22** | **400** | **324.23** |
| **2022-23** | **350** | **269.91** |
| **2023-24** | **350** | **162.51** |

योजना में नामांकन देश भर में 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क वाले सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर भी स्व-नामांकन कर सकते हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से योजना को लोकप्रिय बनाने और पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत लक्षित समूह/पात्र कामगारों को एकत्र करने का अनुरोध किया गया है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने पीएम-एसवाईएम योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की है और असंगठित कामगारों को जुटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने भी पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य

जारी.. 3/..

क्षेत्रों के साथ योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से योजना का प्रचार जैसी अनेक पहलें की हैं।

* ******

**अनुबंध-I**

**"पीएम-एसवाईएम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

| क्र. सं. | राज्य | जिला | पंजीकरण |
|---|---|---|---|
| 1 | तमिलनाडु | पुदुकोट्टई | 3621 |
| 2 | तमिलनाडु | वेल्लोर | 3455 |
| 3 | तमिलनाडु | तिरुवारूर | 3287 |
| 4 | तमिलनाडु | कड्डालोर | 3059 |
| 5 | तमिलनाडु | विल्लुपुरम | 2758 |
| 6 | तमिलनाडु | ईरोड | 2751 |
| 7 | तमिलनाडु | ट्यूटिकोरिन | 2710 |
| 8 | तमिलनाडु | कृष्णगिरि | 2552 |
| 9 | तमिलनाडु | कोयंबटूर | 2442 |
| 10 | तमिलनाडु | विरुथनगर | 2436 |
| 11 | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | 2389 |
| 12 | तमिलनाडु | कन्याकुमारी | 2330 |
| 13 | तमिलनाडु | दिंडीगुल | 2156 |
| 14 | तमिलनाडु | धर्मपुरी | 2145 |
| 15 | तमिलनाडु | तिरुनेलवेली | 2129 |
| 16 | तमिलनाडु | सेलम | 2115 |
| 17 | तमिलनाडु | तिरुवन्नामलई | 2034 |
| 18 | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 1989 |
| 19 | तमिलनाडु | मदुरै | 1888 |
| 20 | तमिलनाडु | कांचीपुरम | 1778 |
| 21 | तमिलनाडु | तेनी | 1727 |
| 22 | तमिलनाडु | तंजावुर | 1658 |
| 23 | तमिलनाडु | तिरुप्पूर | 1625 |
| 24 | तमिलनाडु | तिरुवल्लूर | 1586 |
| 25 | तमिलनाडु | नागपट्टिनम | 1554 |
| 26 | तमिलनाडु | चेन्नई | 1514 |
| 27 | तमिलनाडु | नामक्कल | 1404 |
| 28 | तमिलनाडु | अरियालूर | 1317 |
| 29 | तमिलनाडु | करूर | 1159 |
| 30 | तमिलनाडु | चैंगलपट्टु | 1136 |
| 31 | तमिलनाडु | पेरंबलूर | 1063 |
| 32 | तमिलनाडु | शिवगंगा | 931 |
| 33 | तमिलनाडु | नीलगिरीस | 844 |
| 34 | तमिलनाडु | रानीपेट | 238 |
| 35 | तमिलनाडु | तेनकासी | 172 |
| 36 | तमिलनाडु | कल्लकुरिचि | 95 |
| 37 | तमिलनाडु | तिरूपत्तूर | 73 |
| 38 | तमिलनाडु | मईलाडुदुरै | 40 |
| कुल | | | 68160 |

******